न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 5289 / 2002 / करौली

मन्दिर मंशापूर्ण श्री हनुमान जी वाके करवा करौली जर्ये नेक्स्ट फ्रेण्ड पुजारी सुरेश चन्द पुत्र छोटेलाल ब्राह्मण निवासी करौली तहसील व जिला करौली

....अपीलांट

वनाम

1. बृजमोहन पुत्र ब्रदीलाल महाजन (फोत) के का0 मु0–

    1 / 1. अरूण जिन्दल पुत्र बृजमोहन
    1 / 2. मदन मोहन पुत्र बृजमोहन
    1 / 3. गोविन्द पुत्र बृजमोहन
    1 / 4. सत्य प्रकाश पुत्र बृजमोहन
    1 / 5. शारदा पत्नी मुरारी लाल पुत्री बृजमोहन
    1 / 6. मिथलेश पत्नी दामोदर लाल पुत्री बृजमोहन
    1 / 7. मीना पत्नी गजानन्द पुत्री बृजमोहन
    1 / 8. रेवती पत्नी बृजमोहन

2. सुरेश चन्द्र पुत्र गोविन्द जाति ब्राह्मण निवासी करौली तह0व जिला करौली
3. प्रेम पुत्र गोविन्द जाति ब्राह्मण निवासी करौली तहसील व जिला करौली
4. सरकार जर्ये तहसीलदार करौली

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थित–
अभि0प्रार्थी श्री मुकेश जैन की तरफ से ब्रीफ होल्डर श्री आर.के.गुप्ता
श्री आर.सी.पारीक, अभिभाषक रेस्पो0
श्री ओ.पी.भट्ट, उप राजकीय अभिभाषक

दिनांक 15-06-17

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 241 / 2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–7–2002 के

विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि वादी / अपीलांट ने प्रतिवादी / रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध एक वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 31–3–86 को सहायक कलक्टर करौली के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी मंदिर श्री मंशापूर्ण हनुमान जी कस्बा करौली में आराजी खसरा नंबर 768 में स्थित है एवं उक्त भूमि रकबा 18 बिस्वा भोग राग का कार्य होता है। उक्त भूमि को गोविन्द पुत्र बाबूलाल ने दिनांक 25–2–86 को जर्ये पंजीकृत दान पत्र हस्तान्तरित कर दी। वादी मूर्ति भूमि की अधिकृत स्वत्वधारी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी बृजमोहन ने दिनांक 22–3–86 को धमकी दी कि वह उक्त भूमि को मंदिर के पास नहीं रहने देगा व पास की अपनी भूमि में मिलायेगा। अतः वादी ने प्रार्थना की कि प्रतिवादी नंबर 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस वाद का प्रतिवादी बृजमोहन ने जवाब दावा प्रस्तुत किया एवं प्रतिवाद किया कि विवादित भूमि उसके पिता बद्री ने प्रतिवादी नंबर 2 गोविन्दा के पिता बाबूलाल से क्रय की है एवं वह कब्जे मुखालिफान में भी भूमि पर काबिज है। अतः वाद निरस्त किया जावे। परीक्षण न्यायालय बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 30–1–2001 द्वारा वादी का वाद निरस्त कर दिया तथा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30–1–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–7–2002 द्वारा खारिज कर दी। जिससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. उनका बहस में आगे कथन है कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट का मुख्य कथन यह है कि उसने पूर्व खातेदार बाबूलाल से विवादित भूमि 17–12–58 को 95 / –रूपये में क्रय की है। यही नहीं अपने वाद में भी बृजमोहन ने यही कथन किया किन्तु इस संदर्भ में न तो कोई तनकी ही ईजाद की गई और न ही इस अमर की कोई दस्तावेजी अथवा जुबानी साक्ष्य प्रस्तुत हुई। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मुख्य बिन्दुओं पर सही रूप से तनकीयात व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के भार को सही रूप से निर्णित न करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित करने में भारी भूल की है।

4. उनका यह भी तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है, जो आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादी अपीलांट शाश्वत अवयस्क है एवं उसे भूमि सही रूप से दान में प्राप्त हुई है। उसकी भूमि पर विपक्षी को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके बावजूद दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने बिना आधार एवं लगातार कब्जा काश्त साबित न होते हुए भी विपक्षी का कब्जा मुखालिफाना कहते हुए विपक्षी के पक्ष में उद्घोषणा व निषेधाज्ञा पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें तथा वादी अपीलांट का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादी मंदिर ठाकुर जी श्री मंशापूर्ण हनुमान जी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए विपक्षी को जरिये निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 2016 आर वी जे 340, 2011 आर आर डी 509 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का मूल खातेदार बाबूलाल ब्राहमण् था जिसने दिनांक 23–5–58 को रेस्पोडेन्ट के पिता बद्रीलाल को संवत् 2015 में 95/–रूपए में आराजी का विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया तथा दिनांक 24–2–58 को बाबूलाल के पुत्र गोविन्द प्रसाद ने भी उक्त विक्रय बाबत सहमति एवं कब्जे काश्त के संबंध में अपनी स्वीकृति प्रदान की। मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार दिनांक 28–3–86 में रेस्पोडेन्ट का कब्जा होना बताया है। विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का वर्ष 1958 से निरन्तर कब्जा बताया गया है, साथ ही 12 वर्ष तक निरन्तर कब्जा होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं एवं मूल खातेदार के अधिकार अधिनियम की धरा 63 (4) के तहत समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में गोविन्द प्रसाद को उक्त आराजी बाबत दान पत्र निष्पादित किये जाने का कोई अधिकार नहीं था। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य का भलीभांति परीक्षण कर एवं उन्हें विस्तृत रूप से विवेचित एवं विश्लेषित करते हुए परीक्षण न्यायालय ने वादी के वाद को खारिज किया है, जो समुचित है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी परीक्षण न्यायालय के निर्णय से सहमति दर्शाते हुए समवर्ती निष्कर्ष पारित किया है, ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय को तनकीवार निष्कर्ष अंकित करने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधि

सम्मत हैं, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से निरस्त की जावे।

6. पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तत्पश्चात् हमारा निष्कर्ष निम्न प्रकार से है।

7. इस मामले में मंदिर मंशापूर्ण श्री हनुमान जी वाके कस्बा करौली जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड सुरेशचंद के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर करौली के यहां राजस्व वाद संख्या 190 / 98 (186 / 92) पेश किया गया था, जिसके काउन्टर क्लेम के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिदावा पेश किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर करौली ने अपने निर्णय दिनांक 30–1–2001 द्वारा वादी के वाद पत्र को खारिज किया एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रति दावा को स्वीकार करते हुए डिक्री पारित की। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां अपील संख्या 241 / 01 पेश की गई, जो अपील दिनांक 30–7–2002 को आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए खारिज की गई। अपीलांट के द्वारा इन निर्णयों से विक्षुब्ध होकर यह द्वितीय अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर करौली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–1–2001 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–7–2002, इन दोनों का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि दोनों न्यायालयों ने यह माना है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 768 रकबा 18 बिस्वा वाके कस्बा करौली की जो भूमि है, वह भूमि दिनांक 23–7–1958 को 95 / –रूपए में खातेदार बाबूलाल द्वारा तहरीरनामा से बेचान कर दी गई थी तथा दिनांक 24–12–1958 को बाबूलाल के पुत्र गोविन्द के द्वारा भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा होना और विक्रय को स्वीकार किया गया है। उपरोक्त न्यायालयों ने यह माना है विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का वर्ष 1958 से लगातार कब्जा चला आ रहा है। अतः उसे एडवर्स पजेशन से अधिकार प्राप्त हो गये हैं। और इस आधार पर प्रतिवादी के दावे को स्वीकार किया गया है और वादी के वाद पत्र को खारिज किया गया है।

8. अधीनस्थ न्यायालय एवं राजस्व अपील प्राधिकारी इन दोनों के द्वारा अपनी फाइन्डिंग का जो आधार उल्लेखित किया गया है उसके संबंध में दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि प्रतिवादी संख्या 1 बृजमोहन ने जो प्रतिदावा प्रस्तुत

किया है, उसमें उसने यह उल्लेखित किया है कि यह भूमि प्रतिवादी पक्ष के द्वारा दिनांक 23–7–1958 को खरीद कर ली गयी है। पत्रावली पर दिनांक 23–7–1958 से संबधित दस्तावेज लगा हुआ है, जिसके द्वारा प्रतिवादी बृजमोहन भूमि के संबंध में अपने अधिकार प्राप्त होना उल्लेखित करता है। उक्त दस्तावेज एग्जीबिट ए–7 तहरीरनामा दिनांक 23–7–1958 का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि इस तहरीरनामा में कहीं पर भी विवादित भूमि के बेचान की बात उल्लेखित नहीं है तथा न ही इस तहरीरनामा में यह उल्लेखित है कि आया बेचान का मूल्य कितने रूपए तय हुआ और प्रतिफल कितना अदा किया गया। ऐसी स्थिति में हमारा यह मानना है कि लिखावट दिनांकित 23–7–1958 में प्रतिफल का अभाव है और बेचान की बात उल्लेखित नहीं है। इस तहरीरनामा दिनांकित 23–7–1958 में केवल कब्जा सुपुर्द करने की बात है और इस तहरीरनामा के आधार पर विधिक रूप से यह कयास बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता कि आया बाबूलाल ने इस तहरीरनामा दिनांकित 23–7–1958 के आधार पर विवादित आराजी का बेचान बद्रीलाल के पक्ष में किया हो। तो ऐसी स्थिति में हमारा यह मानना है कि प्रतिफल का अभाव होने के कारण और बेचान की बात उल्लेखित नहीं होने के कारण तहरीरनामा दिनांकित 23–7–1958 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 बृजमोहन या उसके पूर्वजों के पक्ष में विवादित आराजी के संबंध में किसी प्रकार के अधिकार का कोई सृजन हो गया हो, यह नहीं माना जा सकता।

9. अब जहां तक इस बात का प्रश्न है कि बाबूलाल के पुत्र गोविन्द ने दिनांक 24–12–1958 को भूमि पर बृजमोहन के कब्जे को स्वीकार किया है एवं वर्ष 1958 से भूमि पर लगातार प्रतिवादी पक्ष का कब्जा है, अतः एडवर्स पजेशन के आधार पर उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। हमारा यह मानना है कि दिनांक 24–12–1958 को गोविन्द के द्वारा प्रतिवादी के कब्जे को स्वीकार करने की बात से भी प्रतिवादी संख्या 1 का भूमि के संबंध में कोई अधिकार सृजित होना नहीं माना जा सकता। क्योंकि इस मामले में गोविन्द की ओर से प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम का जो जवाब प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह उल्लेखित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के पिता के हक में कोई प्रार्थना पत्र दिसम्बर 1958 में नहीं दिया है और वादी के पिता का कोई कब्जा काश्त विवादित भूमि में नहीं माना है। गोविन्द के द्वारा अपने जवाब दावा में इस तथ्य से इंकार किया गया है और प्रकरण में ऐसे कोई हस्तलेख विशेषज्ञ को प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं करवाया गया है, जिसने कि गोविन्द के हस्ताक्षर की

जांच की हो और यह माना हो कि आया प्रतिवादी बृजमोहन, गोविन्द की जिस स्वीकारोक्ति को कह कर के आ रहा है, वह स्वीकारोक्ति गोविन्द की ही हो। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त जवाब दावे में गोविन्द का यह उल्लेख करना रहा है कि समस्त खातेदारी हकूक दिनांक 25–2–1986 तक प्रतिवादी संख्या 1 में निहित थे और दिनांक 25–2–1986 से प्रतिवादी संख्या 3 में निहित हो गये हैं। वादी को कोई खातेदारी काश्तकारी हकूक नहीं हैं।

10. अब जहां तक प्रतिवादी संख्या 1 बृजमोहन के विवादित भूमि पर सन् 1958 से कब्जे का प्रश्न है, तो यद्यपि बाबूलाल के वारिसान, जो कि इस प्रकरण में पक्षकार हैं, उन्होंने अपने अभिवचन में इस तथ्य से इंकार किया है एवं दूसरा यदि बृजमोहन पक्ष का विवादित भूमि पर कब्जा भी माना जावे तो 2016 आर बी जे 340 चेनाराम व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इसी प्रकार से रेस्पोडेन्ट पक्ष का यह कथन कि उन्होंने जो अभिलेख पत्रावली पर पेश किया हुआ है उसके अनुसार भी रेस्पोडेन्ट पक्ष का एडवर्स पजेशन प्रकट है। हमारा यह मानना है कि 2011 आर आर डी 508 जगदीश व अन्य बनाम सीताराम व अन्य के मामले में राजस्व मण्डल की फुल बैंच ने यह अवधारित किया है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर या ट्रेसपास के आधार पर खातेदारी अधिकार कन्फर्म नहीं किया जा सकते। तो इस मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय और तत्पश्चात् प्रथम अपीलीय न्यायालय ने एडवर्स पजेशन के आधार पर रेस्पोडेन्ट बृजमोहन के पक्ष में जो खातेदारी अधिकारों का सृजन होना माना है, वह फाइन्डिंग विधिक रूप से सही प्रतीत नहीं होती।

11. उपरोक्तानुसार हमारा यह मानना है कि लिखापढी दिनांक 23–7–1958 और एडवर्स पजेशन, ये दोनों ही आधार, जिनके ऊपर अवलम्बन करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट बृजमोहन के पक्ष में फाइन्डिंग देते हुए उसके प्रतिदावा को स्वीकार कर डिक्री किया है, विधिक रूप से इन दोनों ही आधारों पर रेस्पोडेन्ट बृजमोहन के पक्ष में विवादित आराजी के संबंध में किसी प्रकार के अधिकारों का सृजन होना नहीं माना जा सकता।

12. अब जहां तक रेस्पोडेन्ट बृजमोहन विवादित भूमि पर अपने कब्जे का उल्लेख करके आ रहा है तो ऊपर उल्लेखित अनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर भी उसके पक्ष में खातेदारी अधिकारों का सृजन नहीं माना जा सकता। द्वितीय, हमारा यह भी मानना है कि इस प्रकरण में जिस प्रकार से साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें प्रतिवादी के गवाह भगवतीलाल गुप्ता ने अपने बयानों में विवादित भूमि को बगीची होना माना है। प्रतिवादी का ही गवाह कैलाप्रसाद अपनी साक्ष्य में यह उल्लेखित करता है कि इसमें महादेवजी की छत्री व देवता हैं। तो इन दोनों ही गवाहों की साक्ष्य से यह बात उभरकर सामने आती है कि विवादित भूमि का जो उपयोग है, वह बगीची के रूप में है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जिस प्रकार की साक्ष्य और अभिलेख प्रस्तुत हुआ है, उसके अनुसार विवादित भूमि में एक कुंआ बना हुआ होना बताया गया है और जिस पर एक शिलालेख लिखा हुआ है, जिस शिलालेख का अवलोकन करने से यह प्रकट है कि यह पुनीत स्मृति में निर्माण करवाया गया है। प्रश्न यह है कि यदि यह भूमि सन् 1958 से रेस्पोडेन्ट बृजमोहन के पूर्वजों ने खरीद ली थी तो इसमें जो कुंए का निर्माण करवाया गया, उसमें पुनीत स्मृति का शिलालेख करवाने की क्या आवश्यकता थी एवं उसे बगीची के रूप में या महादेवजी की छत्री या देवता के स्थान के रूप में जो उपयोग की स्थिति है, वह भी यह जाहिर करती है कि भूमि का उपयोग व उपभोग धार्मिक पुण्यार्थ कार्य के लिये किया जाता रहा है। यदि यह भूमि रेस्पोडेन्ट बृजमोहन के अनुसार उनके स्वयं की होती तो भूमि का जो उपयोग है, वह चेरिटी या सार्वजनिक प्रकृति का उपयोग दर्शित नहीं होता। तो इस प्रकार से भी हमारा यह मानना है कि भूमि पर यदि रेस्पोडेन्ट बृजमोहन या उसके पूर्वजों के द्वारा किसी प्रकार का कोई चेरिटी परपज से इन्वेस्टमेन्ट करते हुए कोई निर्माण भी करवा दिया गया है, तो उससे भूमि उनके खातेदारी अधिकार की नहीं मानी जा सकती क्योंकि भूमि का उपयोग व उपभोग धर्मार्थ एवं सार्वजनिक प्रतीत होता है।

13. दूसरी तरफ जो स्थिति उभरकर सामने आती है वो यह है कि इस मामले में अपीलांट के पक्ष में विवादित भूमि के संबंध में दिनांक 25–2–1986 को निष्पादित करवाया हुआ रजिस्टर्ड दान पत्र है। रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 25–2–1986 को गोविन्द शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा द्वारा निष्पादित करवाया गया है जिसने अपने अभिवचन में भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। दान पत्र का निष्पादन मंदिर मंशापूर्ण श्री हनुमान जी के पक्ष में किया गया है जो कि शाश्वत नाबालिग हैं। ऊपर उल्लेखित अनुसार भूमि का उपयोग व उपभोग सार्वजनिक व

धर्मार्थ के कार्यो का होना प्रकट हुआ है। विवादित भूमि मंदिर से सटी हुई भूमि है। यह तथ्य इस बात को प्रकट करता हैं कि दान की मंशा के अनुसार विवादित भूमि मंदिर के प्रयोजनार्थ स्वीकार की गई है और मंदिर के काम आ रही है। जो दान पत्र है उस पर सुरेशचन्द शर्मा, जिसकी ओर अपने आपको नेक्स्ट फ्रेण्ड बताते हुए मंदिर की तरफ से यह दावा किया गया है, के भी हस्ताक्षर हैं। यह स्थिति यह जाहिर करती है कि रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 25–2–1986 में पुजारी सुरेशचन्द पुत्र छोटेलाल ब्राहमण निवासी करौली की स्वीकारोक्ति एवं सहमति रही है। दान पत्र की इबारत में भी इस बात का उल्लेख है कि सुरेशचन्द शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा मंदिर का पुजारी है और सार–संभाल कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आया दान का ग्रहण नहीं हुआ हो बल्कि परिस्थितियों और ऊपर उल्लेखित तथ्य यह प्रकट करते हैं कि दान की स्वीकारोक्ति भी है और सहमति भी है और उसी भावना के अनुरूप विवादित भूमि का मौके पर सार्वजनिक धर्मार्थ उपयोग व उपभोग भी हो रहा है।

14. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 25–2–1986 को शून्य घोषित करवाने के लिए किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा प्रकट नहीं होता है।

15. अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हमारा यह मानना है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर करौली के द्वारा दिनांक 30–1–2001 को जो निर्णय पारित किया गया है तथा इसकी प्रथम अपील में दिनांक 30–7–2002 को राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वे दोनों ही आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं।

–आदेश–

16. अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 30–7–2002 एवं सहायक कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 30–1–2001 निरस्त किये जाते हैं एवं अपीलांट / वादी मंदिर मंशापूर्ण श्री हनुमान जी वाके कस्बा करौली की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार करते हुए डिक्री किया जाता है और भूमि खसरा नंबर 768 रकबा 18 बिस्वा वाके कस्बा करौली वादी / अपीलांट मंदिर मंशापूर्ण श्री

हनुमान जी वाके कस्बा करौली की खातेदारी व काश्तकारी की घोषित की जाती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 बृजमोहन जरिये कायम मुकामान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वह वादी के कब्जे व उपयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें ना अन्य से करावें। उपरोक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/6/17

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य